

## राजस्थान राज्य पथ परिवहन, निगम, जयपुर।

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा (8)/2020/987

दिनांक- 20-11-2020


कार्यालय-आदेश

निगम की विभिन्न मार्गों पर संचालित मजिली वाहनो (STAGE CARRIAGE) वाहनो में दैनिक यात्रा (आना-जाना) करने वाले यात्रियों के लिए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा (8)/2019/335 दिनांक 04.09.2019 में देय छूट को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	मासिक यात्रा पास की अवधि	देय छूट
1.	एक माह, दो माह, व तीन माह	45 प्रतिशत

1. मासिक यात्रा पास जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया तथा शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् / यथावत् रहेगी।
2. मासिक पास यात्रा व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार (आर.एफ.आई.डी.) कार्ड निर्धारित शुल्क पर जारी किये जावेगे।
3. द्रुतगामी वाहन मासिक पास धारक आवश्यकता होने पर साधारण वाहन सेवा में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इस संबंध में किसी प्रकार की अन्तर राशि देय नहीं होगी एवं साधारण वाहन मासिक पास धारको को द्रुतगामी वाहन सेवा में यात्रा करना अनुमत नहीं होगा।

उक्त मासिक यात्रा पास की नई व्यवस्था दिनांक 1 दिसम्बर 2020 से प्रभावी होगी।

  
(राजेश्वर सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा (8)/2020/987

दिनांक:- 20-11-2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निम्ना सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रा. प. निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. सनस्त विभागाध्यक्ष ..... रा. प. निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/सयुक्त/उप महा प्रबन्धक/जोनल मैनेजर.....रा. प. निगम, मु. जयपुर।
4. कार्यकारी प्रबन्धक( निरीक्षण/यातायात)रा.प. निगम,मुख्यालय,जयपुर।
5.  उप महा प्रबन्धक(आई.टी.),राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित आदेश निगम की वेबसाईट पर इसको उपलब्ध कराना एवं ई.टी. आई एम/कम्प्यूटर में आवश्यक संशोधन कराना सुनिश्चित करावे।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क)रा. प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी (टिकिट/स्टोर/अंकेक्षण) राज0 जयपुर।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(वित्त/याता)रा.परिवहन निगम.....
9. आदेश पत्रावली।



कार्यकारी निदेशक (यातायात)